तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13-12-19	पत्रावली पेश हुई. उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी संख्या 312, 313 कुल किता 02 रकबा 14 बिस्वा भूमि ग्राम चतरभुजपुरा पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील माण्डल मे स्थित उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ता विपक्षी संख्या 01 से 04 की आराजी संख्या 364 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा मे दक्षिणी दिशा की मेड के सहारे-सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की। जब कि वकील विपक्षी ने प्रार्थना पत्र के खण्डन मे प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट का अध्ययन व मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार योग्य है अतः :: आदेश :: प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजियात ग्राम चतरभुजपुरा पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नम्बर 312, 313 कुल किता 02 रकबा 14 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे द[illegible] पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, [illegible]रोक्त भूमि मे उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.25 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम ... हुक्म की ता... में जारी
	आने-जाने हेतु विपक्षीगण 01 लगायत 04 की आराजी नम्बर 364 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि मे से दक्षिणी दिशा की मेड़ के सहारे-सहारे 12 फीट चौड़ा का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है, 12 फीट चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार मांडल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.25 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner